समाहरणालय, गया।

(शस्त्र शाखा)

गया जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों हेतु महत्वपूर्ण सूचना।

(आम सूचना)

एतद द्वारा गया जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि सरकार के अवर सचिव गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार के विभागीय पत्रांक–3517 दिनांक–20.05.2020 द्वारा Ministry of Law & Justice (Legislative Department), भारत सरकार के Gazette Notification संख्या–72 निर्गत तिथि 13.12.2019, Act No–48/2019 की प्रति संलग्न कर भेजते हुए उक्त के द्वारा अधिसूचित आयुध (संशोधित) अधिनियम, 2019 के संशोधित प्रावधानों का अनुपालन हेतु संसूचित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि आयुध (संशोधित) अधिनियम, 2019 द्वारा Arms Act, 1959 यथा संशोधित 1983 की धारा–3(2) में उल्लेखित प्रावधान को संशोधित करते हुए प्रावधानित किया गया है कि उक्त संशोधित अधिनियम के Commencement के समय शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपने Arms License पर अधिकतम दो आग्नेयास्त्र ही धारण कर सकते हैं। यदि वे दो से ज्यादा शस्त्र धारण करते हैं तो कोई एक शस्त्र निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर के पास या धारा–21 की उपधारा–1 के प्रयोजनों के लिए विहित शर्तों के अधीन रहते हुए किसी अधिकृत License Dealer (आयुध व्यौहारी) के पास अथवा जहाँ ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है, वहाँ उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रागार में निक्षिप्त करेगा। उक्त हेतु अवधि इस संशोधित अधिनियम की तिथि से एक साल के अन्दर करना होगा। **उक्त हेतु अवधि इस अधिनियम के Commencement के एक वर्ष के अन्दर निर्धारित की गई है। यदि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी इस अवधि के अन्तर्गत शस्त्र जमा नहीं करते हैं तो इसके उपरांत 90 दिनों के अन्दर delicenced कर दिया जायेगा।**

अतः गया जिला अन्तर्गत वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जो आयुध (संशोधित) अधिनियम, 2019 के Commencement के समय दो से अधिक शस्त्र अनुज्ञप्ति धारण करते हैं को इस माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित दो से ज्यादा शस्त्र में कोई अतिरिक्त शस्त्र को अपने निकटतम थानाध्यक्ष/शस्त्र अनुज्ञप्ति के थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष के समक्ष या अधिकृत Licence dealer (आयुध व्यौहारी) के पास अथवा यदि Licencee सशस्त्र बल के सदस्य हो तो अपने निकटतम यूनिट शस्त्रागार में जमा करेगे ताकि संशोधित अधिनियमित प्रावधान के तहत दो शस्त्र ही धारण कर सके एवं अधिनियमित निदेश का पालन हो। जमा करने की विधिवत प्राप्ति लेगे एवं इसकी लिखित सूचना शस्त्र शाखा के शस्त्र दण्डाधिकारी, गया को देगें। उक्त का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में आयुध अधिनियम–1959 यथा संशोधित–2019 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।

साथ ही गया जिला अन्तर्गत सभी थानाध्यक्षों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में भी इस माध्यम से सूचित किया जाता है। इसकी प्रति अलग से निदेश के साथ सभी थानाध्यक्ष/ओ0पी0 प्रभारी गया जिला को दी जायेगी।

13/08/2020

जिला दण्डाधिकारी,
गया।

Niraj Arms Letter - 2017/Page No.-204